# अशासकीय संस्थान के चयन हेतु आवश्यक अहर्ताएं

**Integrated Land and Eco-System Management to Combat Land Degradation and Deforestation in Madhya Pradesh (UNDP-GEF Project)**

**उल्लेखित परियोजना के परियोजना संचालन समिति (Project Steering Committee) का गठन राज्य शासन द्वारा परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी करने तथा वर्क प्लान का अनुमोदन आदि के लिए किया गया है। समिति में एक अशासकीय संस्थान को सदस्य के रूप में चयन किया जाना है। चयन राज्य शासन एतद् द्वारा गठित समिति निम्नलिखित अहर्ताओं के आधार पर करेगी।**

- अशासकीय संस्थान राष्ट्रीय स्तर की हो एवं कार्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश भी सम्मिलित हो।
- अशासकीय संस्थान का प्राकृतिक संसाधन विकास, वन, मानव संसाधन विकास, रोजगार उन्मुखी कार्य, ग्रामीण विकास, कृषि एवं पशुपालन संबंधी कार्य, जल ग्रहण संबंधी कार्य आदि में 10 वर्ष का अनुभव हो।
- अशासकीय संस्थान का वार्षिक Turnover न्यूनतम रूपये 25.00 लाख हो।
- अशासकीय संस्थान में वर्तमान में प्राकृतिक संसाधन विकास, वन, मानव संसाधन विकास, रोजगार उन्मुखी कार्य, ग्रामीण विकास, कृषि एवं पशुपालन संबंधी कार्य, जल ग्रहण कार्य के विशेषज्ञ उपलब्ध हो।
- अशासकीय संस्थान के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई हो अथवा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया हो।
- चयनित अशासकीय संस्थान अथवा उनके सहयोगी संस्थान को इस परियोजना से संबंधित किसी भी कंसलटेंसी की पात्रता नही होगी।
- चयनित अशासकीय संस्थान को बैठक में उपस्थित होने निम्न सुविधाओं की पात्रता होगी –
  - अशासकीय संस्थान के मुख्यालय से भोपाल तक आने जाने का किराया वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के किराया तक भ्रुगतान किया जावेगा।
  - मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल के किराये की सीमा तक का आवासीय व्यय।
  - बैठक की तिथियों में रूपये 3,000/- प्रतिदिन का मानदेय।
- अशासकीय संस्थान आवेदन के साथ निम्न अभिलेख / जानकारी प्रस्तुत करें।

  (a) संस्थान के नियमों (by - laws) की सत्यप्रति।
  (b) संस्थान के पंजीयन की सत्यप्रति।
  (c) विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण (Audit) प्रतिवेदन।
  (d) वर्तमान में संस्थान द्वारा संचालित प्राकृतिक संसाधन, वन, मानव संसाधन विकास, रोजगार उन्मुखी कार्य, ग्रामीण विकास, कृषि एवं पशुपालन संबंधी कार्य एवं जल ग्रहण संबंधी कार्यो के परियोजनाओं की जानकारी।

इच्छुक अशासकीय संस्थान दिनांक 20/10/2010 तक अपना आवेदन निम्न पते पर कार्यालय – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना संचालक, सामुदायिक वन प्रबंधन, अपर वेसमेंट, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004 फोन–0755–2557003,फैक्स–0755–2674343,ई–मेल mpcfm_forest@rediffmail.com भोपाल (म.प्र.) को प्रेषित करें।

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक**
**एवं परियोजना संचालक**
**यू.एन.डी.पी. – जी.ई.एफ. परियोजना, भोपाल**